न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रामकिशोर मीना , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
31/24	एफएसएस एक्ट, 2006	27/08/2024

1. वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर
–आवेदक

बनाम

1. कमलेश खण्डेलवाल पुत्र श्री कैलाश खण्डेलवाल (प्रोपराईटर) मैसर्स अर्थव किराना एण्ड जनरल स्टोर, माल गोदाम रोड गंगापुर सिटी निवासी नर्सिंग कॉलोनी गंगापुर सिटी। –अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांकः– 18.12.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध के लिय युद्ध अर्न्तगत दिनांक 20.12.2023 को 02:30 पी.एम पर मैसर्स अर्थव किराना एण्ड जनरल स्टोर माल गोदाम रोड गंगापुर सिटी पर पहुंचा आवेदक द्वारा मौके पर उपस्थित विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होने खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं आधार कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत की। आवेदक द्वारा मौके पर संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु **Shudh Deshi Ghee (Dairy Nice Brand)** की पैकिट्स में रखे हुए थे। **Shudh Deshi Ghee (Dairy Nice Brand)** 500 मि0ली0 के पैकिट्स में मिलावट का अंदेशा होने पर **Shudh Deshi Ghee (Dairy Nice Brand)** 500 मि0ली0 के पैकिंग के 04 पैकिट्स को खरीदें उसकी कीमत 1000/– रू0 विक्रेता श्री कमलेश खण्डेलवाल को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान रविकान्त के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने मौके पर फार्म सं0 5ए की प्रतियॉं एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर ,सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री कमलेश खण्डेलवाल भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक ने खरीदशुदा **Shudh Deshi Ghee (Dairy Nice Brand)** को मूल ही लेकर आवेदक द्वारा 04 नमूना भाग तैयार कर तथा 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकायें और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं कमांक एच 3123 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 एच 3123 नियमानुसार चारों भागों में नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता से हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों को नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया। आवेदक द्वारा फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर फार्म सं0 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष 2 सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:43:00 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी [illegible] अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2024/48 [illegible] 02.2024 के द्वारा [illegible] हुआ कि मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/5287/[illegible] विक्रेता द्वारा [illegible] नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ **Shudh Deshi Ghee (Dairy Nice Brand) Substandard & Contravenes** होना पाया गया है।

आवेदक द्वारा **Shudh Deshi Ghee (Dairy Nice Brand) 500 ml. Substandard & Contravenes** प्रकृति का विकय एवं निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 58 में निर्धारित है।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित हुआ। अभियुक्त ने दौराने बहस कोई कथन प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक की बहस सुनी गई।

आवेदक ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अभियुक्त के द्वारा खाद्य पदार्थ **Shudh Deshi Ghee (Dairy Nice Brand) 500 ml. Substandard & Contravenes** प्रकृति का विकय एवं निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 58 में निर्धारित है तथा अभियुक्त पर अधिक से अधिक जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली मे संलग्न मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/5287/एक्ट/2023/28 दिनांक 01.01.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ **Shudh Deshi Ghee (Dairy Nice Brand) 500 ml. Substandard & Contravenes** प्रकृति का होना पाया गया है। यदि आवेदक उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था तो रैफरेल प्रयोगशाला में जांच हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 व 58 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त को 2.00.,000 (2 लाख) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक...18.12.2024 . को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:43:00 IST
Reason: SelfAttested